

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पंप) के लिए भूमि की आवश्यकता

निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित लोकेशनों पर रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यहाँ आगे आईओसीएल कहा गया है) को एकमुश्त बिक्री / पट्टे / त्रिपक्षीय- उप पट्टा (पट्टा / त्रिपक्षीय- उप पट्टा के लिए नवीनीकरण विकल्प के साथ न्यूनतम 19 वर्ष 11 माह) द्वारा भूखंड हस्तांतरण हेतु यह विज्ञापन जारी होने की तारीख से पूर्व अपने पास भूमि का विधिमान्य और स्पष्ट बिक्री योग्य हक रखने वाली इच्छुक पार्टियों से दो बोली प्रणाली अर्थात (क) तकनीकी निविदा और (ख) वित्तीय निविदा में मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित हैं:

क्रम संख्या	मंडलीय कार्यालय	जिला	स्थान	प्लॉट की न्यूनतम फ्रंटिज (मीटर में)	प्लॉट की न्यूनतम गहराई (मीटर में)	प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	आगरा	हाथरस	नगला रामपुर छटोल, तहसील सिकंदराराओ, जिला हाथरस	35	35	1225
2	आगरा	इटवा	लखना	35	35	1225
3	आगरा	आगरा	रसूलपुर	35	35	1225
4	आगरा	फर्रुखाबाद	किलोमीटर स्टोन 550-552 के मध्य एस एच-29	35	35	1225
5	आगरा	मैनपुरी	ग्राम नानामऊ, तहसील एवं जिला मैनपुरी	35	35	1225
6	आगरा	हाथरस	किलोमीटर स्टोन 169-172 के मध्य, एन एच-91 पर जीटी रोड, जिला हाथरस (उत्तर प्रदेश)	35	35	1225
7	आगरा	मथुरा	किलोमीटर स्टोन 3-8 के मध्य मथुरा गोवर्धन रोड पर, जिला मथुरा	35	35	1225
8	आगरा	आगरा	मुड़ी चौराहा	35	35	1225
9	देहरादून	देहरादून	राजपुर रोड	20	20	400
10	देहरादून	नैनीताल	गरमपानी	20	20	400
11	देहरादून	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	20	20	400
12	देहरादून	हरिद्वार	लक्सर	30	30	900
13	देहरादून	हरिद्वार	शिवालिक नगर, भादराबाद रोड	30	30	900
14	देहरादून	देहरादून	चकराता रोड, बल्लुपुर चौक एवं क्लॉक टावर के मध्य, देहरादून शहर	20	20	400
15	देहरादून	देहरादून	रायपुर	20	20	400
16	मुरादाबाद	मुरादाबाद	गागन ब्रिज से जीरो पॉइंट (मंगपुरा) मुरादाबाद दिल्ली रोड पर	35	35	1225
17	मुरादाबाद	बिजनोर	हीमपुर दीपा (2 किलोमीटर के अंदर बिजनोर की ओर)	35	35	1225
18	मुरादाबाद	बिजनोर	नजीबाबाद	35	35	1225
19	नोएडा	मेरठ	मेरठ से मवाना रोड, (एन एच- 119), किलोमीटर स्टोन 13 एवं 18 के मध्य दायीं ओर	35	35	1225
20	नोएडा	गाजियाबाद	अस्थला एन एच 58 पर	35	35	1225
21	नोएडा	मेरठ	बागपत रोड (बागपत तिराहा एवं रेलवे पलाइओवर के मध्य)	35	35	1225
22	नोएडा	गाजियाबाद	भोपुरा, गाजियाबाद शहर	30	30	900
23	नोएडा	गाजियाबाद	हिंडन एयर फोर्स स्टेशन एवं एन एच 58 / मोहननगर रोड को जोड़ती हुई रोड पर (वाया करेड़ा)	30	30	900
24	नोएडा	बुलंदशहर	नराउ	35	35	1225

कृपया निम्नलिखित सूचना नोट करें:

- यह विज्ञापन रिटेल आउटलेटों के लिए केवल उचित भूमि की खरीद के लिए है और रिटेल आउटलेट डीलरशिप की नियुक्ति या अपनी भूमि का प्रस्ताव करने वाले किसी व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई हित जैसे भागीदारी या कमीशन आदि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देता है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तुत भूमि MORTH, भारत सरकार द्वारा जारी, परिपत्र RW-NH-33032/01/2017-S&R (R) दिनांक 26.06.2020 और इसके संशोधनों (यदि हो) / एनएचएआई आदि द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों पर प्रस्तुत भूमि, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र संख्या - 1822/23-12-19-1365/17 टी सी लोक निर्माण विभाग अनुभाग-12 दिनांक 04.12.2019 और उसके संशोधनों (यदि हों) / उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग आदि द्वारा जारी नवीनतम दिशा - निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।
- नगर निगम सीमाओं, छोटे आकार वाले भूखंड भी विचारणीय होंगे, बशर्त वे आधुनिक रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए उचित हों।
- भूखंड का फ्रंट विज्ञापन के अनुसार भूखंड तक समुचित एप्रोच रोड के साथ राजमार्ग / मुख्य रोड / अन्य रोड से सटा होना चाहिए।
- निविदाकार को सभी सांविधिक मंजूरीयों जैसे शहरी भूमि सीलिंग, गैर-कृषि परिवर्तन, आयकर मंजूरी, भार-रहितता प्रमाणपत्र की व्यवस्था करनी होगी।
- भूमि वरीयता रूप में समतल, कम से कम रोड लेवल तक, एक सन्निहित भूखंड में होनी चाहिए।
- भूमि ओवरहेड हाई टेंशन पॉवर लाइन, उत्पाद / पानी पाइपलाइन / नहर / नालियों / नालों / सार्वजनिक रोड, रेल लाइन आदि से मुक्त होनी चाहिए।
- भूमि सभी अधिभारों / अतिक्रमणों / धार्मिक निर्माणों आदि से मुक्त होनी चाहिए। इसके लिए विधिवत् नोटरीकृत आवश्यक दस्तावेज (हलफनामा) प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाएं।
- यदि किसी लोकेशन के लिए एक से अधिक उचित प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो वाणिज्यिक व्यवहार्यता के तहत केवल आईओसीएल के विवेक से एक से अधिक भूमि की खरीद भी की जा सकती है।
- यदि आवश्यक भूमि का समस्त खंड एक मालिक का नहीं होगा तो एक दूसरे के सन्निहित और आईओसीएल की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भूखंड रखने वाले मालिकों का समूह एक पंजीकृत पॉवर ऑफ अटार्नी धारक के माध्यम से कोट कर सकते हैं। विधिवत् पृष्ठांकित प्रत्येक मालिक से अपेक्षित पॉवर ऑफ अटार्नी की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाए।
- कृषि भूमि का प्रस्ताव कर रहे व्यक्तियों को इसे अपने स्वयं के व्ययों और लागत पर गैर-कृषि, खासकर रिटेल आउटलेट / बुनियादी सुविधा और अन्य सम्बद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु वाणिज्यिक परिवर्तन करना होगा।
- एक आवेदक विज्ञापित एक लोकेशन या अधिक लोकेशनों पर एक या अधिक साइटों के लिए आवेदन कर सकता है।
- जिला प्राधिकरण और अन्य सरकारी निकाय / सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भी इस विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिकता उचित पाये जाने पर सरकारी भूमि को दी जायेगी।
- व्यक्ति, कोई संस्थापन जैसे निजी कंपनी, सोसायटी, ट्रस्ट, भागीदार फर्म, एकल स्वामित्व कंपनी आदि भी आवेदन कर सकते हैं।
- आईओसीएल द्वारा यथाअनुमानित, निम्नलिखित अतिरिक्त लागत भी निविदाओं के वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए विचारित होगी (i) प्रस्ताव की गई साइट को रोड स्तर तक लाने के लिए प्रवेश / निकास के विकास के लिए लागत के साथ-साथ रिटेनिंग वॉल / हेम पाइप आदि की लागत सहित भूमि के भराव / एकीकरण / कटिंग की लागत (ii) अन्य भौतिक पैरामीटर जैसे फोन / बिजली लाइनों की शिपिंग / टेलिफोन लगाने की लागत।
- बिक्री विलेख पंजीकरण के समय भुगतान बैंक / एनईएफटी / आरटीजीएस द्वारा और पट्टे / उप-पट्टे के लिए मासिक भाड़े के मामले में आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारा भुगतान करना होगा। भुगतान के लिए भूमि मालिक(ओं) के बैंक कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि अपेक्षित होंगे।
- ब्रोकरों / संपत्ति डीलरों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- डॉक / कोरियर द्वारा भेजे दस्तावेजों में विलंब, खोने या प्राप्त नहीं होने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्राप्त कोटेशन केवल प्रस्ताव हैं और ये किसी भी प्रकार से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर बाध्य नहीं हैं।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बिना कोई पूर्व सूचना दिए अपने विवेक से विज्ञापन के बाद परिवर्तित / संशोधन करने का अधिकार होगा। ऐसे परिवर्तन / संशोधन / बदलाव केवल ऑनलाइन वेबसाइट www.iocl.com पर उपलब्ध कराये जायेंगे और किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होंगे।
- किसी विवाद की अवस्था में इस विज्ञापन का अंग्रेजी भाषा का संस्करण अंतिम होगा।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बिना कोई कारण दिए किसी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

प्रस्ताव दो बोली प्रणाली में निम्नवत् जमा किए जाएं:

(A) तकनीकी निविदा: प्रस्ताव की गई भूमि के भूखंड का विवरण, विधिवत् हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रतियाँ सहित, तकनीकी निविदा में जमा किए जाएं। तकनीकी निविदा में प्रस्ताव मूल्य / भूमि की कीमत का कोई जिक्क नहीं होना चाहिए। निविदाकार द्वारा निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए:

- भूमि मालिक(ओं) / पट्टा धारक(ओं) का / के नाम
- संपत्ति ब्यौरा और भूखंड की स्थिति के विवरण के साथ मुख्य योजना
- भूखंड की लंबाई / चौड़ाई के साथ बिक्री / पट्टे / उप-पट्टे का प्रस्ताव किया क्षेत्रफल
- भूमि स्वामित्व के विवरण वाला '7 / 12' एक्सट्रैक्ट या इसके समकक्ष अर्थात खतौनी, जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी आदि और हक विलेख अर्थात बिक्री विलेख आदि सत्य प्रति के रूप में संलग्न / प्रमाणित।
- पॉवर ऑफ अटार्नी धारक को पंजीकृत पॉवर ऑफ अटार्नी की प्रति जमा करनी होगी।

दस्तावेजों / उपर्युक्त अपेक्षित विवरणों के बिना प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकार करने योग्य होंगे।

नोट: तकनीकी निविदा को पृथक लिफाफे में रखा जाए और इस पर 'तकनीकी निविदा' लिखा जाए।

(B) वित्तीय निविदा: वित्तीय निविदा में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए:

- प्रस्ताव बिक्री या पट्टे / उप-पट्टे या केवल बिक्री या पट्टे / उप-पट्टे के लिए है।
- बिक्री की अवस्था में अपेक्षित बिक्री राशि रूपों में होगी।
- पट्टे / उप-पट्टे की अवस्था में, अपेक्षित मासिक पट्टा भाड़ा रूपों में और पट्टे / उप-पट्टे की अवधि।

नोट: वित्तीय निविदा को पृथक लिफाफे में रखा जाए और इस पर 'वित्तीय निविदा' लिखा जाए।

तकनीकी और वित्तीय दोनों निविदाओं को पृथक मुहरबंद किया जाए और उन्हें एक तीसरे लिफाफे में रखा जाए और विधिवत् "----- (लोकेशन का नाम) में भूमि के लिए प्रस्ताव" शीर्षांकित कर मुहरबंद किया जाए।

इच्छुक पार्टियाँ नीचे दर्शाये नियत तिथि और समय तक निम्नलिखित पते पर आवेदन कर सकती हैं:

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए क्रमांक 1 से 8 तक हेतु

प्रभागीय प्रधान (खुदरा बिक्री), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), आगरा मंडलीय कार्यालय, इंडियन ऑयल भवन, 65 / 2, संजय प्लेस, आगरा (उ.प्र.) पिन-282002

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए क्रमांक 16 से 18 तक हेतु

प्रभागीय प्रधान (खुदरा बिक्री), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), मुरादाबाद मंडलीय कार्यालय, ख्वाजा फिलिंग स्टेशन (इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प) के पीछे, पाकबड़ा, एनएच-24, मुरादाबाद (उ.प्र.) पिन-244102

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए क्रमांक 19 से 24 तक हेतु

प्रभागीय प्रधान (खुदरा बिक्री), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), नोएडा मंडलीय कार्यालय, ओआईडीबी भवन, सी ब्लॉक, पहली मंजिल, सेक्टर-73, नोएडा, गौतम बुद्धनगर (उ.प्र.) पिन-201301

उत्तराखंड राज्य के लिए क्रमांक 9 से 15 तक हेतु

प्रभागीय प्रधान (खुदरा बिक्री), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), देहरादून मंडलीय कार्यालय, 25, नींबूवाला, गढ़ी कैंट, देहरादून (उत्तराखंड), पिन-248003

निविदा जमा रखने की अंतिम तिथि 17.08.2021 समय 17:00 बजे तक है। नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। जमा प्रस्ताव अंतिम जमा करने की तिथि से 150 दिनों की अवधि के लिए वैध होंगे अथवा बढ़ायी गई वह समय अवधि जो आपसी सहमति से स्वीकृत हो, के लिए विधिमान्य होने चाहिए।